बहुजनों का बहुजन भारत

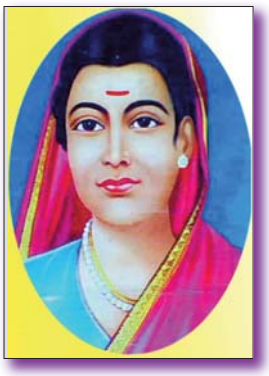

व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित हिन्दी साप्ताहिक

स्मृति दिवस- 10 मार्च, 1897

नई दिल्ली | वर्ष 17 अंक 10 | संपादक-वामन मिंधूजी मेश्राम | 03-10 मार्च, 2018 | प्रकाशन तिथि 11 मार्च, 2018 | पृष्ठ-8,मूल्य-3 रुपये | वार्षिक सहयोग राशि-250 रुपये

विद्या की ज्योति फैलानेवाली माता सावित्रीबाई फुले का 121वीं स्मृति-दिवस पर "बहुजनों का बहुजन भारत" साप्ताहिक पत्रिका परिवार की ओर से आप सभी पाठकों को भावभीनी श्रृद्धांजली अर्पित ...

हरियाणा में विकास का नया मॉडल तीन साल में लाखों हुए बेरोजगार। मा.प्रेम कुमार गेडाम

चण्डीगढ़/हरियाणा

बेरोजगार युवाओं के साथ हरिणाया सरकार मजाक कर रही है, २७१ युवाओं को रोजगार देकर कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता का ढोल पीट रही है, जबकि राज्य में लाखों युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।

मनोहर लाल खट्टर के तीन साल के कार्यकाल में लाखों बेरोजगारों में महज 17 हजार रोजगार देना यह साबित करता है कि यह हरियाणा में विकास का नया मॉडल है।

आपने बताया कि चूँकि आजकल भाजपा शासित राज्यों में विकास का नया मॉडल तैयार किया जा रहा है जिनमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा एक है। मगर जिस तरह से गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी यह बात समझ से बाहर थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2017 के दौरान और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में केवल गुजरात मॉडल पर जोर दिया जा रहा था, मगर जैसे ही गुजरात विधानसभा चुनाव शुरू हुआ वैसे ही गुजरात में यूपी मॉडल का राग अलापना शुरू हो गया था। जो साबित करता है कि विकास मॉडल नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है।

हरियाणा में 28 हजार सरकारी नौकरियां अदालतों की धूल चाट रही हैं जिसने खट्टर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके बाद भी राज्य सरकार विकास का दावा ठोंक रही है। यदि उसके दावे पर गौर करें तो पता चलता है बीजेपी अपने तीन साल के कार्यकाल में केवल 17 हजार रोजगार ही दे पायी है।

हरियाणा सरकार के दावे पर टिप्पणी करते हुए भारतीय विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी प्रेम कुमार गेडाम ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ हरियाणा सरकार मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, शिक्षित युवा, बेरोजगार, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लेकिन सरकार उसका कोई समाधान नहीं कर पा रही है। केवल आम जनता को लुभाने के लिए नयी स्कीम निकाली जा रही है। फिर चंद ही महीनों बाद उनका सर्वे कराया जाता है और रैंकिंग लिस्ट बना दी जाती है जिसमें सभी राज्यों को अलग-अलग ग्रेडिंग दी जाती है, भले ही जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचा हो या नहीं। इसका सबूत हाल ही में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा हरियाणा को दी गयी 11वीं रैंक है। इस रैंक पर राज्य सरकार न केवल खुश नजर आ रही है, बल्कि खुद ही पीठ थपथपा रही है। मगर इन आंकड़ों से राज्य का बड़ा युवा वर्ग परेशान है, क्योंकि जब शहरी गरीबों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो रैंकिग में कैसे आ गया।

आपने जानकारी स्वरूप बताया कि अभी भारत का २०१७-१८ का जो बजट पारित किया गया, वह २१ लाख करोड़ रूपये का है। आज के तारीख में भारतवर्ष दुनिया में पाँचवे नम्बर की इकॉनोमी है और यह कहा जा रहा है कि सन् २०३५ तक भारत की इकॉनोमी दुनिया की तीसरे नम्बर की इकॉनामी हो जाएगी। अगर भारत का इकॉनोमी इसी तरह चलती रही तो भारत दुनिया की तीसरी नम्बर की इकॉनोमी बन जाएगी। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद भी भारत में भुखमरी बढ़ रही है। भारत की भुखमरी खत्म होने के बजाय क्यों बढ़ रही है? दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं, उन लोगों के सामने इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। अमेरिका और यूरोप के अर्थशास्त्री बहुत महान विद्वान लोग हैं। अमेरिका और यूरोप के अर्थशास्त्री को भारत में बढ़ रही भुखमरी का कारण नहीं मिल रहा है? वे कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में जैसे-जैसे ग्रोथ रेट बढ़ता है, वैसे-वैसे भुखमरी और गरीबी घटती है। मगर भारत में ग्रोथ रेट बढ़ रही है और साथ-साथ भुखमरी भी बढ़ रही है। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। यूरोप और अमेरिका का अर्थशास्त्र भारत में काम नहीं कर रहा है।

बंग्लादेश में गरीबी और भुखमरी भारत से कम है। बंग्लादेश के पास उतना पैसा भी नहीं है, जितना की भारत में है। भारत का बजट 21 लाख करोड़ रूपये का है। इस 21 लाख करोड़ में कितने शून्य कागज में लिखना है, भी हमारे पढ़े-लिखे लोगों को समझ में नहीं आएगा, भारत के पास इतना पैसा है। भारत सरकार के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी और बंग्लादेश के इकोनॉमी से ज्यादा होने के बावजूद भी भारत गरीबी और भुखमरी उन्मूलन में पीछे क्यों है?

अमेरिका और यूरोप के अर्थशास्त्रियों को हैरानी हो रही है कि उनका इकोनामिक्स भारत में क्यों फेल हो रहा है? इसका जवाब यह है कि भारत में भुखमरी से जो लोग मर रहे हैं या उनको मारा जा रहा है, ये लोग और भारत का शासक वर्ग जो कि ब्राह्मण है, उनका वंश अलग-अलग है। यह एक बात है ये लोग मूलनिवासी हैं और जो ब्राह्मण है, वह विदेशी है। जब चाईना में आदमी मरता है, तो वहाँ का रूलर भी चीनी है और वहाँ का मरने वाला भी चाईनीज होता है। इसलिए उनको अन्दर से दुःख होता है। मैं आपको समझाने के लिए यह उदाहरण बता रहा हूँ कि जो छोटे-छोटे देश हैं, वो अपने देश में भुखमरी और गरीबी खत्म करने के लिए आगे आ रहे हैं और वो तरक्की कर रहे हैं।

अंत में प्रेम कुमार गेडाम ने कहा कि कौशल विकास एंव रोजगार स्थापित करने के लिए वर्तमान में हरियाणा सरकार ने 8500 युवाओं का लक्ष्य रखा था, जिसमें 2839 अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से मात्र 271 युवाओं को ही रोजगार मुहैया कराया गया है। इससे साबित होता है कि सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रही है।

हरियाणा में विकास का नया मॉडल तीन साल में लाखों हुए बेरोजगार। मा.प्रेम कुमार गेडाम

आजमगढ़/उत्तर प्रदेश

देश में मूलनिवासी बहुजन समाज की सम्पूर्ण आजादी एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए कटिबद्ध संगठन बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आजमगढ़ में सफल आयोजन आजमगढ़ में किया गया जिसमें प्रशिक्षण देने का कार्य प्रोफेसर आर.आर.इण्डियन (प्रधान महासचिव, बामसेफ, उ.प्र.) ने किया।

इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों ने हिस्सा लिया। जिनको प्रशिक्षण देते हुए प्रोफेसर आर.आर. इण्डियन ने बताया कि बामसेफ संगठन ने जो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया है उसे राष्ट्रव्यापी आन्दोलन खड़ा करके ही पूरा किया जा सकता है जिसकी पूर्वशर्त है राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन खड़ा करना, क्योंकि बगैर राष्ट्रव्यापी संगठन के हम राष्ट्रव्यापी संघर्ष और राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलन निर्माण नहीं कर सकते हैं। सन् 1882 में हण्टर कमीशन भारत आया जिसके सामने राष्ट्रपिता जोतिराव फुले ने सबसे पहले शूद्रो-अतिशूद्रों के हक एवं अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व की मांग रखी। उसी से प्रेरणा लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपनी रियासत में इन वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया। जब साउथबरो कमीशन सन् 1918 में भारत आया तो शाहूजी महाराज के कहने पर डा. बाबा साहब अम्बेडकर और सत्यशोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर राव जाधव ने पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए साउथबरों कमीशन के सामने लिखित में मेकोरेण्डम रखा था जिसके विरोध में उस समय उसी कांग्रेस के लीडर बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव के नजदीक अथनी नामक गांव में इसका विरोध करते हुए कहा था ''तेली, तमोली, कुनभटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है अर्थात मूलनिवासी बहुजनों के प्रतिनिधित्व का विदेशी यूरेशियन ने तुरन्त विरोध किया। इसी प्रकार से राष्ट्रपिता जोतिराव फुले एंव छत्रपतिशाहू जी महाराज से प्रेरणा लेकर बाबासाहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ झगड़कर अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते 17 अगस्त सन् 1932 कम्युनल अवार्ड के तहत चार महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त किए जिनको गांधी नाम के शैतान ने 24 सितम्बर 1932 को छीन लिया जिसका खामियाजा मूलनिवासी बहुजन आत तक भुगत रहे हैं। विधि मण्डलों में लगभग 1100 एमएलए एवं लोकसभा में एससी, एसटी के 131 सांसदों का प्रतिनिधित्व होने के बाद भी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है जिनको बाबासाहब ने शासक जातियों अर्थात विदेशी यूरेशियन के टूल स्टूज और एजेन्ट कहा

दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बामसेफ समस्त मूलनिवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है और अलग-अलग धर्मों के मूलनिवासी बहुजन समाज की भी लड़ाई लड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि १ जनवरी १८१८ को महाराष्ट्र के पूना के पास भीमा कोरेगाँव में जो ऐतिहासिक और गौरवशाली लड़ाई लड़ी गई थी, उसके २०० साल पूरा होने वाले हैं।

अंग्रेजी में एक कहावत है कि ''हिस्ट्री रिपिट्स ईटसेल्फ'' अर्थात ''इतिहास अपने आपको दोहराता है।'' वर्तमान में मूलनिवासी बहुजन समाज के सभी लोग बामसेफ के माध्यम से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलोग वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में अपने मूलनिवासी बहुजन समाज के आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इसको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इसलिए इस पाँच दिन के अधिवेशन को उसी परिप्रेक्ष्य में देखें।

हमारे समाज के महापुरूषों और गुरूओं ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिसके बदौलत हम सभी मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों को भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार मिल पाए हैं। आज पुनः हमारे समाज को इन सारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश हो रही है। जो बातें संविधान के विरोध में हैं उनको लागू किया जा रहा है। जिसके बदौलत अब ईवीएम में वीवीपीएटी मशीन लगने जा रही हैं। मगर वीवीपीएटी मशीन को भी प्रभाव शून्य करने का काम चल रहा है। ये सारी कोशिशें असंवैधानिक हैं। हमारे महापुरूषों की लड़ाई के कारण हमको मताधिकार मिला। हमलोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है 'प्रौढ़ मताधिकार' (एडल्ट फ्रेंचाईज) के बुनियाद पर ही लोकतंत्र खड़ा होता है। अगर आप कहते हो कि भारत में लोकतंत्र है तो इसकी बुनियाद मताधिकार है और आज इसको ही खत्म करने की कोशिश हो रही है। आने वाले समय में केवल दिखावे के लिए मताधिकार हो जाएगा कि लोग लाईन में खड़े हैं और उंगली पर निशान लगा रहे हैं, ईवीएम का बटन दबा रहे हैं मगर वोट किसको जा रहा है, यह पता नहीं है। ईवीएम से पर्ची निकल रही है तो उसकी गिनती होने वाली नहीं है तो ये सारा मामला दिखाने के लिए एक प्रोसेस बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम मूलनिवासी बहुजन समाज पर पड़ने वाला है क्योंकि यह हमारे मूलनिवासी बहुजन समाज को सभी अधिकारों से वंचित करने का मामला है।

वर्तमान में बहुत सारी बातें संविधान के विरोध में बड़ी जोर से चलाई जा रही हैं और संविधान विरोधी बातों को संविधान के विरोध में जाकर उसे कानून के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। यह संवैधानिक नहीं है। जैसे ईवीएम है, वीवीपीएटी है और आधार कार्ड है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि बामसेफ के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो पहली बार आए हैं, वे पाँचों दिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन को ध्यान से सुनें। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के चर्चा सत्रों में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जो बाहर में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में बाहर कहीं पर भी नहीं बोला जाता है। बामसेफ इन गंभीर मुद्दों को सामने लेकर आती है, इन मुद्दों पर सारे देशभर में चर्चा करके लोगों को जानकार बनाया जाता है। इसलिए यह जो बौद्धिक खुराक है, यह आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बामसेफ ही एक मात्र ऐसा संगठन है जो सही मायनों में मूलनिवासी बहुजन समाज के आजादी की वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है।

इतना ही नहीं डा.बाबासाहब अम्बेडकर सांसद और विधायकों को भौंकने वाले कुत्तों की जगह अपने आकाओं के सामने दुम हिलाने वाले एवं तलवे चाटने वाले कुत्ते कहा। क्योंकि ये लोग समाज के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। जिस पूना पैक्ट का बाबा साहब जीवन के अंतिम समय तक विरोध करते रहे जिसको आज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसी पूना पैक्ट रूपी षड्यंत्र को अपने प्रतिनिधित्व को जनक मान रहे हैं जो उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। लोगों को अधिक से अधिक जानकार बनाने के लिए ही बामसेफ पूरे देश में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है उसी के तहत ही इस कैडर कैम्प का आयोजन आज यहां किया गया है।

•

दलितों की दुर्दशा कारण और निवारण

निरंतर...

आज भी उच्च वर्ग के सवर्ण ६५-६५ प्रतिशत जगहों पर हर विभाग में छाये हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी अधिकांश दलित विरोधी भावना से ग्रस्त हैं। कारण यह है कि बचपन से जो संस्कार उन्हें मिला है, उससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता, चाहे वे कितने ही उच्च शिक्षित हो या उच्च से उच्च पद पर आसीन हों। अभी हाल में २१ लोकसभा-राज्यसभा के दलित सांसदों की रिपोर्ट टाईम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुई जिससे नेता भाजपा के एमपी महोदय करिया मुंडा थे। रिपेर्ट में लिखा है कि देश के उच्च न्यायालयों में ४८१ जजों में केवल १५ अनुसूचित जाति के तथा ५ अनुसूचित जनजाति के हैं, तथा सर्वोच्च न्यायालय मे हाल में केवल एक जज की नियुक्ति हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश जज जातिवाद व पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और अस्पृश्यता बरतते हैं वास्तव में इस कारण उच्च वर्गीय जज पूरी ईमानदारी से अपने फैसले नहीं कर पाते। लोग मेरिट की बात करते हैं अगर कोई आईएएस, आईपीएस आदि में उच्चतम स्थान प्राप्त करता है, परन्तु वह जातिवाद से ग्रसित है और समाज सेवा विशेषया निर्धन व दलित वर्ग के प्रति उसमें कोइर्द भावना सनहीं है तो ऐसा आदमी प्रशासनिक सेवा के लायक नहीं है। इसी प्रकार हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों में अगर निष्पक्ष नहीं है। राष्ट्रपति जी माननीय के.आर.नारायणन ने सही कहा ाीके न्यायपालिका में समाज के हर अंग व देश के हर भू-भाग का प्रतिनिधित्व आवश्यक है।

दलितों की दुर्दशा का मुख्य कारण वर्ग एवं जाति-व्यवस्था है। जब तक यह व्यवस्था रहेगी, देश तथा समाज में एकता असंभव है। इसके बिना देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकेगा, न राष्ट्रीय एकता की भावना जागृह हो सकेगी। आज देश में केन्द्रीय व राज्य सरकार में ४०-५० लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जगहें रिक्त हैं। अगर सरकार बैंक लॉग भर दे तो देश में कोई शिक्षित दलितों बेरोजगार नहीं बचेगा।

आज भारत देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ब्राह्मण ऋषियों द्वारा स्थापित वर्ग व्यवस्था तथा जातिप्रथा है। इसने हिन्दू जातियों का निर्माण करके समाज को इतना बांट दिया कि समाज की एकता सदैव के लिए नष्ट हो गई। ईसा पूर्व ३२६ में जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि देश पर विदेशी फौजें हमला कर रही हैं पर किसान खेतों में काम कर रहे हैं, बनिया दुकान खोले बैठे हैं तथा अन्य वर्ग अपने-अपने व्यवसाय में व्यस्त है। बस ३ प्रतिशत क्षत्रिय ही देश की रक्षा कर रहे हैं। क्षत्रिय राजाओं में भी फूट है, वे एक दूसरे के दुश्मन हैं।

डॉ.सुरेन्द्र शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ''हिन्दुओं का इतिहासः हारों का दस्तान'' में लिखा है कि अगर ब्राह्मणों ने समाज को बांटा न होता और भीड़ बनाकर हिन्दू महमूद गजनवी की फौज पर गिर पड़ते तो पूरी फौज दबकर मर जाती। ब्राह्मणों ने इतनी धार्मिक बंदिशों सैनिकों पर लगा रखी थी कि बिना संध्या पूजा कोई सैनिक अन्न-जल ग्रहण नहीं कर सकता था। प्रातः शत्रु का आक्रमण हो गया, भूखे पेट लड़ रहे हैं। उधर मुसलमान सैनिक खाना खकर अग्रिम पंक्ति में आ जाते, अग्रिम पंक्तिवाले खाने के लिए चले जाते। मुसलमान सैनिकों को शिक्षा थी कि जीतेगा तो लूट कर माल मिलेगा और अगर मरोगे तो सीधे बहिश्त में जाओगे जहाँ हूरें मिलेंगी तथा ऐश की जिंदगी होगी। हिन्दू सैनिक अगर कैद कर लिए जाते तो मुसलमानों के संपर्क के कारण वे अशुद्ध हो जाते और कठिन प्रायश्चित से उन्हें गुजरना होता था। अतः अपना पलड़ा हल्का होते दीख वे भाग खड़े होते कि कहीं पकड़ न लिए जायें। पंजाब के राजा जयपाल कैद से छूटे तो ब्राह्मणों की प्रायश्चित की कठिन प्रक्रिया के कारण आत्महत्या कर ली।

भारत में दलितों पर दमन और शोषण के विरूद्व संगठित ढ़ंग से सर्वप्रथम आवाज बाबासाहब डा. अम्बेडकर ने उठायी और उनको शोषणमुक्त करके समस्त मानवाधिकार दिलाने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने आ. जीवन महान संघर्ष किया और इस लक्ष्य-प्राप्ति में उन्हें बड़ी सफलता भी मिली। इसलिए उन्हें निर्बलों और दलितों का मसीहा कहा जाता है। बाबासाहब के आदर्शों का लेखक के जीवन पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा जो उनके लेखन में स्पष्ट झलकता है।

आप देखें चीन में मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए चीनियों ने १६०० मील लंबी व ३०-४० फुट चौड़ी दीवार का निर्माण कर लिया। यह इसलिए संभव हो सका कि चीन एक राष्ट्र था, उनमें राष्ट्रीय भावना थी। भारत एक देश रहा, पर राष्ट्र नहीं बन सका। इसमें अनेकों स्वतंत्र राज्य थे। कारण था देशवासियों में भाईचारे व बंधुत्व का अभाव। वर्णाश्रम व जातिप्रथा यहाँ तक कि इस शूद्र व अन्त्यज वर्ग की आत्मरक्षा के लिए भी शस्त्र धारण मना था। इनका जीवन पशु व गुलामी से भी बदतर ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर कर दिया था।

दूसरी ओर देखें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यूरोप के विभिन्न देशें-पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी, हॉलैण्ड, रूस आदि के निवासी गये, पर वे सभी अमेरिकन हो गये। कारण उनके धर्म ईसाई में ऊँच-नीच की भावना नहीं थी। अगर जाति भावना न होती, हिन्दू एक राष्ट्र के निवासी होते तो पश्चिम में खैबरें दर्रे के पास ४०-५० मील दीवार चीन की भांति निर्मित कर देते तो कोई आक्रमणकारी भारत में घुस नहीं सकता था। भारत पर मुहम्मद गोरी के गुलाम कुतमुबद्दीन ऐबक व उसके गुलम इल्लतुमिश ने भी कई वंशों तक शासन किया। मध्य एशिया में अकाल पीड़ित शक व हूण भी भाग कर भागर मे आये और यहाँ के लोगों को हाराया पर यहीं बस गये। नादिरशाह शायक एक भेड़ चरानेवाला था। इसने सेना इकट्ठा कर भारत पर चढ़ाई की, देश में लूट मचाई

हमारे देश में आदिवासियों में जाति-व्यवस्था नहीं है। पूर्वांचल के आदिवासी तीन राज्यों में ८५-८८ फीसदी स तक ईसाई हैं और लगभग सभी शिक्षित हैं। उनमें देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शेख-सैयद या पठान किसी से हेय भावना कभी पैदा नहीं होगी। कारण है कि वे हिन्दू नहीं है। हिन्दू धर्म इसी कारण मिशनरी धर्म नहीं बन सका और दूसरे देशों में फैल नहीं सका। देखें बिन क्लिंटन जो पूर्व राष्ट्रपति यूएसए, टोली ब्लेयर प्रधानमंत्री इंग्लैण्ड तथा जर्मन के चांसलर तीनों निम्न तबके की गरीब मजदूर औरतों के बेटो थे, पर उच्चतम स्थान पर पहुँच सके। कारण यह है कि वहाँ वर्ग एवं जाति-व्यवस्था जैसे कोई चीज नहीं। जाति-व्यवस्था ने महार जैसी मार्शल रेस को अछूत बना दिया। शिवाजी तथा पेशवाओं की फौज में बहुतायत में महार सैनिक थे। ईस्ट इण्डिया कंपनी की सेना में भी बहुतायत से महार सैनिक थे। केवल बंबई प्रेसीडेंसी आर्मी में ७५ हजार महार सैनिक थे।

बौद्धों का जब दमन शुरू हुआ तो १८६ ई.पू. पुष्पमित्र शुंग नामक ब्राह्मण ने अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शासन पर

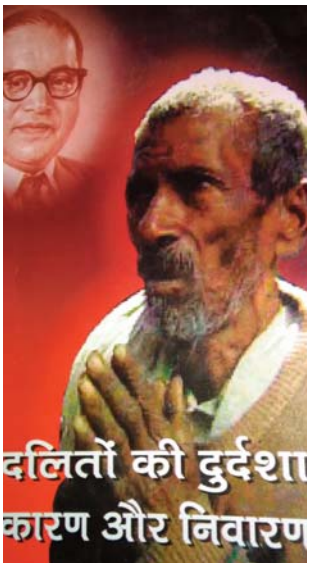

अधिकार कर लिया। फिर बौद्धों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ। उसने एक बौद्ध भिक्खु का सिर काट कर लाने पर एक सौ सोने की मोहरें इनाम देने की घोषणा की। पुष्पमित्र शुंग ने ८४ हजार बौद्ध मठों को भूमिसात किया या इन पर कब्जा करके हिन्दू मंदिरों में तब्दील कर दिया। इसके बाद यही क्रम अन्य हिन्दू राजाओं जैसे बंगाल के ब्राह्मण राजा शशांक, दक्षिण भारत के विष्णुवर्धन व आठवीं सदी के सम्राट सुधन्वा द्वारा जारी रहा। सुधन्वा ने आदि शंकराचार्य के नेतृत्व में असंख्य बौद्धों-जैनियों का संहार किया तथा उनके मंदिरों को ध्वंस किया। आठवीं सदी तक बौद्ध धर्म मालाबार, केरल, उड़ीसा, कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में था। मथुरा बौद्ध नगरी थी, वहाँ २ हजार बौद्ध भिक्खु मठों में निवास करते थे। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक 'भगवान बुद्ध तथा उनक संदेश' में लिखा है कि भारत में हिन्दुओं के जितने भी मठ-मन्दिर हैं, वे बौद्धों के थे, अब हिन्दुओं ने इस पर कब्जा करके अपने रंग में रंग लिया है।

ब्राह्मण ने जो धर्म के उच्च शिखर पर था जिसे चाहा क्षत्रिय बनाया, जिसे चाहा शूद्र बनाया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुकलेट 'मार्डन इंडिया' में शूद्रों (व्यास, वशिष्ठ, नारद, सत्यकाम, जाबाल, द्रोणाचर्य, कृपाचार्य आदि) को ब्राह्मणों ने अपनी श्रेणी में लिया पर सबने अपने वर्ग (शूद्र) के लिए कुछ नहीं किया।

शेष अगले अंक में...

संपादकीय...

हमारे समाज में ही 'नारी-अपमान' का भाव क्यों सर्व स्वीकृत है?

पिछले दिनों महाराष्ट्र में एमआईटी विश्वविद्यालय में १२ के परीक्षा के दौरान ६० लड़कियों को कपड़े उतारकर यानी निर्वस्त्र करके तीन दिनों तक तलाशी ली गई, क्यों? ताकि नकल न कर सके! यह कारनामा करने वाली महिला गार्ड व स्कूल प्रशासन को शर्म तक नहीं आयी।

राजस्थान के ३३ जिलों में झूंझुनू जिला हर १००० लड़कों के पीछे ८३७ लड़कियों के साथ जनगणना-२०११ में सबसे नीचे था, लेकिन 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ अब ६२५ गर्ल्स चाइल्ड तक बढ़ गया है।

तीसरी झारखण्ड में हर साल औसतन १५ महिलाओं को चुड़ैल, जादूगरनी यानी जादू-टोनावाली साबित करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ये औरतें मौत से पहले अत्यंत क्रूरता की शिकार होती हैं, जैसे-नग्न करके समाज में घुमाना, बांधकर जूता-डंडों से मारपीट करना, सामूहिक बलात्कार आदि! ऐसी ही घटनाएँ बिहार, उत्तर प्रदेश, ओड़िसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में घटती रहती है और अब महाराष्ट्र भी इसका अपवाद नहीं रहा।

ये तीन खबरें बताती है कि हमारे देश-घर में बेटियों की हालत क्या है? एमआईटी द्वारा न जाने कितने दावे मानव कल्याण, विश्व कल्याण और आध्यात्मिक वो शैक्षणिक कार्यो को लेकर किए जाते हैं, मगर उसके ही स्कूल में मासूम बेटियों के साथ यह शर्मनाक! यह बताता है कि कथनी और करनी में 'भेद' क्या होता है? ऐसे मामलों में पहले तो लड़कियाँ और उनके माता-पिता 'चुप' रहते हैं, फिर जब 'अति' पर बात पहुँचती है तो लाचार होकर पुलिस या कानून की शरण लेते हैं, ऐसे मामले वहाँ एक-दो नहीं तीन दिनों तक हुए! ऐसे में वे क्या करते? आश्चर्य है न, ऐसा तो लडकों के साथ नहीं होता, वहाँ भी नहीं होता जहाँ खुलेआम नकल होती है, यह तो इतनी अति है कि आप चौंक उठे होंगे! हक्के-बक्के रह गए होंगे कि 'ऐसा भी हो सकता है' कुछ अत्यंत 'सतर्क' कर्मियों की वजह से बच्चियों के कपड़े उतार दिए जाए? वैसे जो दूसरों के कपड़े उतारना है, वह पहले अपने कपड़े उतार लेता है, वह स्वयं अपने भीतर अपनी शर्म को निर्वस्त्र कर लेता है, तभी तो वह दूसरे के कपड़े उतार-उतरवा सकता है! बलात्कारी पहले स्वयं 'नग्न' होता है, बलात्कार का विचार ही उसे पहले भीतर व बाहर से निर्वस्त्र कर देता है, फिर वह अपने शिकार पर हमला करता है! यदि वह सिर्फ एक बार अपनी इस नग्नता को देखे तो शायद वह बलात्कार नहीं कर सकेगा! ऐसा कोई भी 'सरल चित्त बुद्धिमान' व्यक्ति ऐसे घटिया मजाक कर ही नहीं सकता चाहे आप कितने भी तर्क दे! ऐसा असंभव है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक व्यक्ति, एक पूरे संस्थान को इस तरह बदनाम करने का उपाय करे! वह ऐसा कर ही नहीं सकता! दरअसल बुद्धिमान होने का अर्थ ही यही है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति या प्राणी तक को हल्की सी भी पीड़ा नहीं दे सकते। एक पैसे का भी 'छल' उसके साथ नहीं कर सकते।

हमारा समाज मानसिक रूप से अति दरिद्र है। यही कारण है कि यहाँ बेटियां या महिलाएँ सर्वाधिक दरिद्र है। आप सर्वे कर लें कि कितनी कामकाजी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता है? और कितनी गृहिणियों को घर में कमानेवाला पैसे देता है, उनके पास एकाउंट है, वे अपना एकाउंट मेंटेन करती हैं, कितनी आर्थिक सुरक्षा उनके पास है? या महिलाएँ ही उनसे पूछ लेती हैं कि वोट किसे देना है? इस तरह १२वीं कक्षा की युवा लड़कियों के साथ दुष्कृत्य का वहाँ की महिला स्टाफ ने कोई विरोध नहीं किया। झारखंड या अन्य राज्यों में महिलाएँ ही महिलाएँ को चुड़ैल, जादूगरनी बताने और उन्हें प्रताड़ित करने में आगे आती है। लोकसभा में ३३ फीसदी महिला-आरक्षण को लेकर महिला सदस्यों ने क्या किया है? कितने तीर मारे हैं? ऐसा लगता है कि इन 'वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट' को इसकी चिंता ही नहीं!

!! जय मूलनिवासी !!

क्रान्ति ज्योति "सावित्रीबाई फुले" के जीवन संघर्ष को सलाम

भारत की प्रथम राष्ट्र शिक्षिका सावित्रीबाई फुले महान महिला का नाम है। जिन्होंने कथित हिन्दू समाज के शोषित-पीड़ित समाज की महिलाओं में स्वाभिमान की भावना जागृत करके उनको अपने आजादी के लिए उठ खड़ा होने के लिए अपने पति राष्ट्रपिता जोतिराव फुले द्वारा निर्देशित सामाजिक क्रान्ति के विस्फोट के लिए तैयार करने में जीवन पर्यंत उनके साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलती रही। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 03 जनवरी 1831 को पूना के निकट नायगांव, जिला-सतारा में एक माली दम्पति के परिवार में हुआ था।

सावित्रीबाई फुले का विवाह 08 वर्ष की किशोरावस्था में ही 13 वर्ष के किशोर जोतिराव फुले के साथ सन् 1840 में हुआ। समाज में बाल-विवाह, बालिका वध, सती प्रथा आदि कुप्रथायें उस समय की सामान्य परम्पराएँ थी। मंदिरों में शूद्र (पिछड़ी जाति) व अति शूद्र (अनुसूचित वर्ग) का प्रवेश करने पर पाबंदी थी। वही छुआछूत, ऊँच-नीच की बीमारी अपनी पराकाष्ठा पर थी। पूना ही उस समय आताई यूरेशियन पेशवा ब्राह्मणों की राजधानी थी। जहाँ पर मनुस्मृति की व्यवस्था को कानून का रूप देकर कड़ाई से लागू किया जाता था। जिससे ब्राह्मणों ने सभी मूलनिवासी बहुजनों की हालत दयनीय और पशुवत बनाकर रख दी थी। शूद्र कही जानेवाली जातियाँ जीती-जागति नरक की भयावह और घृणित अमानवीयता का सामना कर रही थी। सूर्य के प्रकाश में शूद्र कही जानेवाली सभी पिछड़ी जातियों के बस्तियों से निकलना तथा सड़कों पर चलना प्रतिबंधित ही नहीं, बल्कि दंडनीय भी बना दिया गया था। परन्तु एक कहावत है कि रात का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो ऊषा सुबह का ऊजाला लेकर जरूर आती है।

01 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगाँव के युद्ध में ब्रिटिश सेना की महार पलटन के रणबाकुरों ने पेशवा ब्राह्मणों की विशाल सेना को धूल चटाकर उनका मान-मर्दन किया, जिससे आतताई और अत्याचारी पेशवाई का अन्त हुआ और उसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में निर्वासित किया गया। यह घटना खासतौर पर इसलिए स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि अत्याचारी पेशवा राज्य का अंत उनके ही हाथों से हुआ जिसका पूरा जीवन सामूहिक रूप से इन ब्राह्मणों के द्वारा नरकीय और घृणास्पद बना दिया गया था।

इन ब्राह्मणों के दंडविधान मनुस्मृति का खात्मा हो गया। क्योंकि इसका संरक्षण करने वाले शासन का खात्मा हो गया था। गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बैटिक ने सन् 1821 में सती-प्रथा को निषिद्ध कर दंडनीय अपराध बना दिया था और बालिका वध पर रोक लग चुकी थी तथा ब्रिटिश हुकूमत विद्यालय खोलकर पढ़ने-लिखने का मौका दे रही थी। कानून के सापेक्ष ब्राह्मण किसी भी अपराध के लिए दोषी या आवध्य नहीं था। यह स्थिति अछूत जातियों अर्थात बाबासाहब अम्बेडकर के अनुसार आउटकास्ट कही जाने वाली जातियों के लिए एक प्रकार से नया सबेरा ही था। सामाजिक क्रान्ति के लिए पृष्ठ भूमि प्रदान करने जैसा।

अंग्रेजी हुकूमत में कोई भी जातिगत भेदभाव न रखने के बावजूद भी अछूत जातियों के लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा खोले गये स्कूलों में भी बेरोक-टोक प्रवेश नहीं मिल पाता था। इसमें विदेशी ब्राह्मणों को ही विशेष सुविधा हासिल भी क्योंकि इन विद्यालयों के अध्यापक और प्रधानाचार्य इस प्रकार के व्यवहार से अनभिज्ञ रहते थे अथवा प्रत्यक्ष रूप से इस पचड़े में नहीं पड़ते थे अथवा आना-कानी करते थे। यह सब देखकर राष्ट्रपिता जोतिराव फुले बहुत ही दुःखी हुए कि मूलनिवासी बहुजनों को प्रगति के पथ पर कैसे आगे कैसे आगे बढ़ाया जाये। उन्होंने महसूस किया कि बिना शिक्षा के अनार्य (शूद्र एवं अतिशूद्रों) के उत्थान का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। अतः उन्होंने सारे शोषित-पीड़ित मूलनिवासी बहुजनों को शिक्षित करने का प्रण किया। परन्तु उन्होंने इसके लिए स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता देने का निश्चय किया क्योंकि एक महिला के शिक्षित होने का परिणाम सारे परिवार के शिक्षित करनेवाला होता है, परन्तु एक पुरूष के शिक्षित होने से शेष परिवार लाभांवित होने से बचा रहता है। इसलिए उन्होंने सर्व प्रथम अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित किया और सन् 1848 में अपने मित्रों के सहयोग से एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। जिसे विदेशी ब्राह्मणों ने धर्म के विरूद्ध बताकर इसका पुरजोर विरोध किया। परन्तु राष्ट्रपिता जोतिराव फुले अपने प्रण से जरा भी नहीं डिगे। उन्होंने अपना कार्य निर्वाध रूप से जारी रखा। ब्राह्मणों के विरोध के कारण विद्यालय को अध्यापक मिलना बन्द हो गया। तब माता सावित्रीबाई फुले ने आगे बढ़कर विद्यालय में अध्यापन सम्हाल लिया। यह भारत की नई क्रान्ति की शुरूआत थी। जिस स्त्री को ब्राह्मणों ने अपने धर्मशास्त्रों में पापयोनि कहकर तिरस्कार करते थे, अबला सभी दुर्गुणों की खान बताकर घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। जिसकी पहुँच से शास्त्रों को दूर रखा जाता था। वह न सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर रही थी। बल्कि शिक्षा प्रदान करनेवाले कार्य भी पूरे साहस एवं धैर्य के साथ कर रही थी। (स्त्री शूद्रों न धीयताम) यानि इसका मतलब यह था कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए।) के शस्तादेश की जोतिराव फुले एवं सावित्रीबाई ने खुली चुनौती पेश की और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की खुले आम धज्जियाँ उड़ाई जिस पर यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों का अहंकार जागा उन्होंने राष्ट्रपिता जोतिराव फुले की हत्या करवा कर अपने सीने में चुभ रहे शूल को निकालने की असफल कोशिश की, परन्तु हत्यारे राष्ट्रपिता की सौम्य शालीन निडर भाव भंगिमा जिसमें निर्भयता का भाव झलकता था। से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी हत्या का इरादा छोड़ दिया और उन्हीं के शिष्य बन गये।

शेष अगले अंक में...

हरदोई से है 'होली' का ऐतिहासिक संबंध

होली का जश्न मनाना, माँ, बहन, बेटियों की घृणित हत्या का जश्न मनाना है- सनसनीखेज खुलासा

हरदोई/उत्तर प्रदेश

'गड़े मुर्दे उखाड़ना' इस कहावत को चरितार्थ करते हुए आज एक रहस्य, जिस पर हजारों साल से पर्दा पड़ा रहा, उस रहस्य से पर्दा उठाकर न केवल लोगों को चौंका दिया है, बल्कि उस इतिहास को भी पुर्नजीवित कर दिया है, जिससे लोग अभी तक अंजान थे। अभी तक तो यह केवल एक अनसुलझी हुई पहेली ही थी, लेकिन यह पहेली अब पहेली नहीं रही, क्योंकि एक खुलासे ने इस पहेली को सुलझा दिया है।

यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जिस वक्त लोग होली के जश्न में डूब चुके थे। अब तक यह रहस्य ही बना रहा कि 'होली' क्या है और इसे क्यों पर्व के रूप में मनाया जा रहा है? यही नहीं 'होली' का संबंध किससे और कहाँ से है? इस सनसनीखेज खुलासे ने उक्त सभी सवालों का जवाब एक ही झटके में देकर हैरत में डाल दिया है। चकाचौंध कर देनेवाला यह खुलासा वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है।

इस इतिहास की जानकारी न होने के कारण देश के 85 प्रतिशत मूलनिवासी बहुजन समाज ने एक ऐसी विडम्बना को गले लगा लिया है, जो उनके ही सत्यानाश कारण रहा है। जो मूलनिवासी बहुजन समाज अपने ही सत्यानाश का जश्न मना रहा हो, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती। क्योंकि मूलनिवासी बहुजन समाज जिसे पर्व (त्योहार) के रूप में 'होली' का जश्न मना रहा हैं, उनको पता ही नहीं है कि वे शासक वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों) द्वारा अपनी ही माँ, बहन और बेटियों का अपमान होने और उनको जलाकर मार देने का जश्न मना रहे हैं। यह बात कड़वी जरूर है मगर सच्चाई यही है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 'होलिका' के साथ भी ऐसा ही हुआ था।

सनसनीखेज खुलासे के मुताबिक 'होलिका' का उत्तर प्रदेश के उस हरदोई जिले से गहरा नाता है जिस जिले का संबंध मूलनिवासी (द्रविड) राजा हिरण्यकश्यप से था। राजा हिरण्यकश्यप ने ही 'हरिद्रीही' नाम रखा था, जिसका अर्थ था हरि (देवताओं अर्थात यूरेशियन ब्राह्मणों) के खिलाफ विद्रोह करनेवाला। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि राजा हिरण्यकश्यप को हरि का द्रोही माना जाता था।

ऐतिहासिक मान्यता है कि हरदोई को पूर्व में हरिद्रोही नगरी के नाम से लोग जानते थे, बाद में इसका नाम बदल कर हरदोई कर दिया गया। राजा हिरण्यकश्यप की नगरी होने का प्रमाण आज भी शहर के सांडी रोड पर बने कई ऊँचे टीले यही साबित कर रहे हैं, जो राजा हिरण्यकश्यप की नगरी होने का सबूत है।

जैसा कि होली को लेकर जो कथा प्रचलित है यह कथा झूठ और बहुजन विरोधी है। ब्राह्मणों के कथानुसार अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्माजी और शिवजी को प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा और उन्हें यातनाएँ और कष्ट देने लगा। जिससे प्रजा अत्यंत दुःखी रहती थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद श्री हरि (छलिया विष्णु) का भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद के मन से हरि भक्ति को खत्म करना चाहता था, मगर ऐसा नहीं कर सका। इससे आहत होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जलाकर मारने के लिए होलिका दहन का षड्यंत्र रचा और अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बैठाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इसमें होलिका तो जल गई मगर श्री हरि भक्त नरसिंह की जान बच गई। इसी खुशी में होलिका दहन का उत्सव मनाया जाता है। प्रहलाद ने क्रूर राजा हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारकर प्रजा की रक्षा की थी। लेकिन यह ऐतिहासिक सच्चाई नहीं है, बल्कि यूरेशियन ब्राह्मणों ने जो कृत्य राजा हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका के साथ किया, इस सच्चाई को छिपाने के लिए ब्राह्मणों ने गलत इतिहास लिखा और बताया कि यह होली का उत्सव है। जबकि हकीकत यह है कि प्राचीन काल में यूपी के हरदोई में कश्यप नाम के एक अनार्य राजा थे। उनकी पत्नी दीति थी, उनके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याक्ष वहाँ के राजा थे। उन्होंने आर्यों द्वारा कब्जा की हुई समस्त भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। जिसकी वजह से आर्य देवताओं (ब्राह्मणों) ने षड्यंत्र करना शुरू किया।

हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु (ब्राह्मण) की पूजा अपने राज्य में बंद करा दी और हत्यारे यूरेशियन ब्राह्मणों को कारागृह में डाल दिया था जिससे ब्राह्मणों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया और उनके देव विष्णु ने मिलकर हिरण्यकश्यप का वध करने की योजना बनायी। हिरण्यकश्यप को प्रह्लाद नामक पुत्र था। विष्णु ने नारद (ब्राह्मण) से जासूसी कराके प्रह्लाद को गुमराह किया और घर में कलह करवा दी। प्रह्लाद गद्दार निकला। वह विष्णु के षड्यंत्र में शामिल हो गया। राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी। वह मूलनिवासी समाज की गौरव थी, उनका नाम होलिका था। उस समय होलिका व प्रहलाद आश्रमों में पढ़ने जाती थी लेकिन आश्रमों में आचार्य के रूप में ब्राह्मण ही हुआ करते थे। आश्रम में रहने वाले शराबी ऋषियों के संपर्क में रहने के कारण प्रहलाद अव्वल नंबर का शराबी और नशाखोर बन गया था। जब यह खबर राजा को मिली तो राजा ने

मूलनिवासी राजा हिरण्यकश्यप व उनकी बहन होलिका

प्रहलाद को घर से निकाल दिया और खाने-पीने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रह्लाद की बुआ होलिका प्रति दिन शाम को राजा से नजर बचाकर उसे खाना खिलाने लिए प्रहलाद के पास जाती थी। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा थी, पूर्णिमा के दिन होलिका हमेशा की तरह प्रह्लाद को भोजन देने गई। जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद प्रहलाद के दोस्त के रूप में ब्राह्मणों ने जब होलिका को देखा तो उनकी नीयत खराब हो गई और प्रह्लाद तो इतने नशे में था कि स्वयं को ही नहीं संभाल पा रहा था। फिर प्रह्लाद के मित्रों ने होलिका को पकड़ लिया और उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। जब होलिका ने उसका विरोध किया तो दरिंदो ने होलिका को जान से मार डाला और सबूत मिटाने के लिए सभी ने रातों-रात होलिका की लाश को जला देने का निर्णय लिया, लेकिन एक समस्या थी कि, लाश के जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी? इसके लिए रात में जहाँ से, जिस रूप में लकड़ी मिली। जैसे किसी की खाट, किसी की चौकी, किसी का छप्पर, किसी के उपले, किसी का इंधन। जिसे जो कुछ भी मिला उसे लाकर लाश पर डालते चले गए और आग लगा दी। इसलिए वे होलिका को जलाने में सफल हो गये। होली की लकड़ी एकत्र करना आज भी इसी तर्ज पर यह प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसी से नशा करने की औपचारिकता भी निभायी जा रही है।

बहुजनों **का बहुजन भारत** के वार्षिक सदस्यता शूल्क समाप्त हो गया है। वह कृपा वार्षिक सदस्यता शूल्क जमा मात्र २५० रूपये निम्न पते पर मनीआर्डर, डी.डी. या फिर बैंक खाते में भेज सकते हैं। ताकि वार्षिक सदस्यता चालू हो।

-: पता :-

"बहुजनों का बहुजन भारत"

मकान नं. 4765/46 दूसरी मंजिल

रैगरपूरा, करोलबाग,

नई दिल्ली-110005

संपर्क सूत्र-011-64592625

वाट्सअप-9582467665

बैंक का नाम- सिंडिकेट बैंक

खाता सं. 90411010004790

ई-मेलः **mulnivasibharat@gmail.com**

shambhukumarvsl@gmail.com

कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग की धमकी

ईवीएम में छेड़छाड़ गलत, साबित ना कर पाने पर होगी 06 माह की जेल

बंगलोर/कर्नाटक

भारत में लागू संविधान के अनुसार बनाये गये केन्द्रीय चुनाव आयोग की कर्नाटक राज्य ईकाई ने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से छेड़छाड़ असंभव है। अगर कोई उसमें छेड़छाड़ का दावा करता है और ईवीएम में की जानेवाली गड़बड़ी को साबित नहीं कर पाता है तो उसको 06 महीने के लिए जेल जाना होगा। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आयी है कि, जब कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। यह धमकी भरी घोषणा राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष संजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है।

जैसा कि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस बात का प्रमाण सहित कुछ संगठनों ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा है। जिनके द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए गये हैं। केन्द्रीय चुनाव आयोग से पूछे गये ईवीएम में गड़बड़ी संबंधी प्रश्नों का जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे सका।

केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा जवाब नहीं देना यह सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग यह स्वीकार कर चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है। यानि ईवीएम में गड़बड़ी होने की पूरी संभावना है। रही बात साबित नहीं कर पाने की तो यह संविधान द्वारा दिये गये अभिव्यक्ति की आजादी रूपी मौलिक अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है और राज्य की आम जनता में भय निर्माण करने की कोशिश है, जिसमें राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम पर आपत्ति दायर करने एवं साबित नहीं कर पाने पर 06 महीने के लिए जेल भेजने की धमकी दी है। क्योंकि देश में आज तक ऐसा कोई भी कानून, संसद द्वारा नहीं बनाया गया है कि केन्द्रीय चुनाव आयोग जनता के मौलिक अधिकारों का उलंघन करे। तो फिर कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किस वजह से कर रहा है और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानेवाले लोगों एवं संस्था के खिलाफ किस कानून के तहत 06 माह की जेल की बात कर रहा है? कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग संविधान का उलंघन करके अपनी हद पार कर रहा है।

धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विचार परिवर्तन नहीं हुआ-वामन मेश्राम

पिछले अंक का शेष...

तथागत बुद्ध का समूचा आन्दोलन रणनीति आन्दोल था। जब बुद्ध में विद्यमान ब्राह्मणवादी विषमतावादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी लड़ाई के लिए रणनीति बनाकर काम करना पड़ा। बुद्ध के समय की दो महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, ब्राह्मण धर्म के लोग पशु हिंसा करते थे और जो गो-पालक एवं किसान हुआ करते थे उनके लिए जानवरों की सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। उन्हीं जानवरों को ब्राह्मण लोग मार कर खाते थे। बुद्ध ने इस समस्या को अपने आन्दोलन का मुद्दा बनाया। अहिंसा को लोग केवल धार्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, मगर बुद्ध एक संगठक है, एक नेता हैं और हर संगठनक एवं नेता को लड़ाई लड़ते समय वह सारी बातें करनी पड़ती है। तथागत बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने जानवरों की हिंसा के मुद्दें को अपने आन्दोलन का मुद्दा बनाया। पशु हिंसा से जो गो-पालक किसान पीड़ित थे, वे सभी बुद्ध के समर्थन में खड़े हो गये। बुद्ध की लिखी-बतायी बातें तो सभी पढ़ते हैं, मगर जो लोग उपासक बनकर, भक्त बनकर पढ़ते हैं, उनके कुछ भी समझ में नहीं आता। चूंकि बुद्ध वर्ण व्यवस्था, विषमतावादी ब्राणीवादी व्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन चला रहे थे। वह कोई भक्ति का मामला नहीं था। बुद्ध ने जब पशु हिंसा को अपने आन्दोलन का मुद्दा बनाया तब उसके पीछे रणनीति थी। जो धार्मिक व्यक्ति थे। मगर ऐसी सोंच रखनेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि बुद्ध व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण धर्म के लोगों ने वर्ण-व्यवस्था को भारत के मूलनिवासी लोगों पर थोंपने का अभियान चलाया। अल्पसंख्य लोगों के कल्याण की विचारधारा बहुसंख्य लोगों को गुलाम बनाने के लिए थोंपने का प्रयास वे कर रहे थे तथा यहाँ के मूलनिवासी लोगों को शूद्र बनाने का अभियान ब्राह्मणों ने शूरू किया था। जिन लोगों को शूद्र बनाया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जिन मूलनिवासी लोगों को शूद्र करार दिया जा रहा था, नीच करार देकर गुलाम बनाया जा रहा था, ऐसे सारे लोग बुद्ध के समर्थन में खड़े हो गये। जन समर्थन लेकर बुद्ध ने अपना आन्दोलन सफलता की ओर आगे बढ़ाया। आन्दोलन में सफलता हासिल की।

जब आप लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, तभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। भारत के सभी मूलनिवासी बहुजनों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने की बजाये केवल बुद्ध विहार में जाकर अगरबत्ती-मोमबत्ती जलाओगे, बुद्ध वंदना करोगे तथा जिन लोगों की समस्याओं का समाधान बुद्ध चाहते थे ऐसे लोगों की लड़ाई आप नहीं लड़ेगे तो आप तथागत बुद्ध का काम कर रहे हैं, ऐसा नही कहा जा सकता।

अगर आप वर्तमान में भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं तो आप को जाति-व्यवस्था को अपने आन्दोलन का एजेण्डा बनाना होगा। अस्पृश्यता, आदिवासियों का अलगीकरण, महिलाओं की गुलामी को अपने आन्दोलन का एजेण्डा बनाना होगा। यह काम करने की बजाये केवल विहार में जाकर घंटी बजाओगे, अगरबत्ती-मोमबत्ती जलाओगे, केवल बुद्ध वंदना करोगे भारत बौद्धमय बननेवाला नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाबासाहब अम्बेडकर ने शासक जाति के मुद्दों को अपने आन्दोलन के मुद्दों में परिवर्तित कर लोगों की बुनियादी समस्याओं को अपने राष्ट्रीय एजेण्डा में शामिल किया था। १९५६ को धर्म परिवर्तन करने के बाद, धर्म परिवर्तन करने से पहले बाबासाहब ने जो कुछ काम किया उसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो गयी, वह काम करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी जिन लोगों की सोंच है वैसे भाविक लोग हैं, भक्त हैं। भक्तों को बाबासाहब की बातें इतनी आसानी से समझ नहीं आऐगी। धर्म परिवर्तन करने के पीछे बाबासाहब का यह मकसद नहीं था कि भारत के मूलनिवासी बहुजनों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी बौद्ध धर्म के ऊपर डाल दी जाए।

मगर कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते रहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के बाद दूसरे दिन बाबासाहब अम्बेडकर ने नागपुर में यह बात कहीं कि ''राजनीतिक आरक्षण खत्म करने पर शेड्यूल कास्ट फैडरेशन ने पाबंदी लगायी कि मैं उस प्रस्ताव से बंधा हुआ हूँ। इसका मतलब यह है कि सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए डा.अम्बेडकर अलग रणनीति बनाकर काम कर रहे थे और उस रणनीति पर वे अपने हिसाब से अमल करने का काम करते थे। मगर बाबासाहब की रणनीति अभी तक लोगों की समझ में नहीं आयी है। ज्यादातर लोगों ने अम्बेडकर का लिखित साहित्य ही पढ़ा है, मगर आन्दोलन नहीं पढ़ा। आन्दोलन पढ़ना और साहित्य पढ़ना दो अलग-अलग बातें हैं। आन्दोलन के लिए साहित्य लिखा जाता है और फिर भी आन्दोलन अलग है।

शेष अगले अंक में...

मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए एक्ट और कानून की जानकारी देनी चाहिए-पी.एम.सोलंकी

अमृतसर/पंजाब-

आपने उदाहरण देते हुए कहा कि ऑल ओवर इण्डिया में विशेषतः महाराष्ट्र में जो असंगठित कामगार लोग हैं। वो असंगठित कामगार लोगों के लिए बाबासाहब अम्बेडकर ने संविधान में प्राविधान किया कि कामगार लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि केवल तीन लाख असंगठित कामगारों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। तीन लाख ही नहीं करोड़ों की संख्या में असंगठित कामगार हैं। जिनको हम काम से संबंधित कामगारों को जानते हैं। जैसे मकान बनाना हो तो उस मकान के निर्माण के कार्य में जितने कामगार मजदूर का काम करते हैं, ये सभी मकान कामगार के अंदर आते हैं लेकिन उसमें से केवल तीन लाख लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। हमने महाराष्ट्र में अभियान चलाया और अभियान चलाकर गाँव-गाँव जाकर रजिस्ट्रेशन करने का आन्दोलन चलाया। तब बाकी के राजनैतिक पार्टियों को लगा कि आर.एम.बी.के.एस. के माध्यम से ये सब हो रहा है। उन कामगारों का अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे सामने उसका आँकड़ा आयेगा और उस आँकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इतने कामगार हैं, तो इतने कामगार लोगों के लिए भारत सरकार ने आज तक क्या किया? ये सब काम अगर हमने किया तो भारत के सभी मजदूर लोग हमारे साथ जुड़ जायेंगे और हमारे संगठन का विस्तार बड़े पैमाने पर हो जायेगा।

दूसरी बात हमारे समाज का कर्मचारी वर्ग भी बहुत समस्याग्रस्त है। अगर हम उनके समस्याओं को आधार बनाकर काम करते हैं तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ये सब संगठन का विस्तार होने के बाद समस्याएँ निर्माण होती हैं। जहाँ पर संगठन बना, उस संगठन में जो समस्याएँ निर्माण होती हैं और वो समस्या निर्माण होने के बाद, उस समस्या का समाधान करने के लिए उसी संगठन को अगर हमने अधिकार दिये अर्थात अधिकारों का विकेन्द्रीकरण कर दिया तो निश्चित तौर पर वो लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

आपने उदाहरण देकर समझाया कि जालना कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हमने हमाल और मथाई जो लोग हैं, उनका संगठन बनाया और उन्हीं को अध्यक्ष बनाया, उन्हीं को उपाध्यक्ष बनाया और उनमें नेतृत्व निर्माण किया और उनको कहा कि आपलोगों को अपने ही स्तर पर अपनी समस्या का समाधान करना है। तो उनलोगों ने जो उनकी समस्याएँ थी, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। उनलोगों ने समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने मार्गदर्शन करने का काम भी किया। उस आधार पर बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने लायक वो बन गये हैं। अधिकारों का विकेद्रीकरण हो गया, तो एक नेतृत्व निर्माण हो सकता है। नेतृत्व पैदा करके ही समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अधिकारों का विकेद्रीकरण अर्थात अधिकार प्रदान करना, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको अधिकार मिला, वो अपने तरीके से काम करें। उसको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता का मार्गदर्शन लेना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद सही मायने में समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है।

ट्रेड यूनियन के विस्तार के सन्दर्भ में राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ (आर.एम.बी.के.एस.) का विस्तार थोड़ा-बहुत महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में संघ की गतिविधियाँ कमजोर है। अगर हमें आर.एम.बी.के.एस. को मजबूत करना है, तो हमें भारत के ३१ राज्यों में आर.एम.बी.के.एस. की राज्य स्तर की शाखाएँ (बॉडी) गठित करनी चाहिए। ५५० जिलों में जिला स्तर की शाखाएँ गठित करनी चाहिए और ५००० तहसीलों में तहसील स्तर की शाखाएँ गठित करनी चाहिए। अगर आर.एम.बी.के.एस. की बॉडी ३१ राज्यों में गठित हो जाती है तो हमारा आर.एम.बी.के.एस. भी आई.एन.टी.यू.सी. (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस), ए.आई.टी.यू.सी. (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस), सी.आई.टी.यू. (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस), बी.एम.एस. (भारतीय मजदूर संघ), एच.एम.एस. (हिन्दू मजदूर संघ) और यू.टी.यू.सी. (यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस) के बराबर का संगठन हो जाएगा।

बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि, अगर हम मजबूत हो गए तो भी हमारी समस्या का समाधान होनेवाला नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? जैसे इंटक, आईटक, सीटू, बीएमएस, यूटीयूएस और एचएमएस आदि संगठन भी शांत बैठनेवाले नहीं है। वे नये-नये हथकंडे अपनायेंगे और नये-नये षड्यंत्र करेंगे। ये जो संघर्ष का मामला है। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा बनायी हुई ट्रेड यूनियन अपना आधार छोड़ना नहीं चाहेगी। वे अपनी सत्ता और स्थायीत्व छोड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए हमलोगों को आरएमबीकेएस को स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष के बदौलत हमलोग उनसे ज्यादा ताकतवर हो जायेंगे।

किसी भी ट्रेड यूनियन के लिए किसी भी संस्थान के १० प्रतिशत सदस्यों की सदस्यता होना चाहिए। अगर हम ५० प्रतिशत सदस्यों की सदस्यता अपने संघ में करवा लेते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है, अभी ओड़िसा में हमारे रजिस्ट्रेशन को नहीं मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में भी हमारे रजिस्ट्रेशन को नहीं मान रहे हैं। अगर हम ५० प्रतिशत सदस्यता ग्रहण करवा लेते हैं, तो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ताकत के सामने सभी लोग झुकते हैं। राज्य परिवहन निगम में एक ट्रेड यूनियन है। उसका रजिस्ट्रेशन केवल मध्य प्रदेश में है, मगर वह ताकत के बल पर सारे देश में ट्रेड यूनियन चलाता है। उसके बहुत सारे समर्थक लोग हैं, वह अपनी दादागिरी सभी जगह चलाता है। अगर १० प्रतिशत सदस्य निर्माण करने के जगह पर ५० प्रतिशत सदस्य संख्या का टार्गेट रखें तो इससे हमारी ताकत निर्माण हो जायेगी और ताकत के सामने सभी झुकते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आज भारत में १६ हजार ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं। राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन के १२ महासंघ हैं, तो फिर ये १६ हजार ट्रेड यूनियन कहाँ से आ गए? जिनके पास ताकत नहीं हैं, उनके ज्यादा ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं। जिन ट्रेड यूनियंस के पास सदस्य संख्या नहीं हैं, उनके ट्रेड यूनियंस ज्यादा रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन के ७००० रजिस्ट्रेशन हैं। इन लोगों ने दबाव बनाकर या फिर पैसा देकर ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, मगर अहम बात यह है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं, तब भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हमारी समस्या का समाधान कब होगा? जब हमलोगों को ज्यादा-से-ज्यादा समर्थन मिलेगा और हमारी ज्यादा-से-ज्यादा सदस्यों की संख्या होगी। हमलोग अगर १० प्रतिशत सदस्यों की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो भी हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। हम किसी संस्थान में अगर ५० प्रतिशत सदस्य बना लेते हैं तो हमारी समस्या का समाधान बिना रजिस्ट्रेशन के हो जाएगा। इसलिए हमारे संघ को विस्तार करने का एक अहम मुद्दा है।

दूसरी बात है सदस्यों के समस्याओं की, तो हमारे लोगों की तो समस्या ही समस्या है। हर क्षेत्र में समस्या है। हमारे यहाँ ग्रेसिम इन्डस्ट्रीज में कॉन्ट्रेक्ट लेबर की भी समस्या है। ओड़िसा में बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन वर्कर की समस्या है। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उनकी भी समस्या है। अब इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? सारे वर्कर्स की समस्या है। वर्कर अगर अपनी समस्या कोर्ट में ले जाता है, तो उसे मैनेजमेंट नहीं ले जाने देगा। वे डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कोर्ट कहेगा कि पहले लेबर डिपार्टमेन्ट में काउन्सिलेशन के लिए

जाओ। लेबर डिपार्टमेन्ट पहले उस केस का परीक्षण करेगा कि यह केस न्यायालय में जाने लायक है या नहीं है, इसके बाद निर्माण करेगा। इस तरह से लेबर डिपार्टमेन्ट में एक साल लग जाएगा।

मान लिया जाए कि अगर किसी तरह कोर्ट में केस चला भी गया, तो भी उसे रिलिफ मिलनेवाला नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका समाधान क्या है? इसका सबसे बढ़िया समाधान ट्रेड यूनियन एक्ट में दिया गया है, अगर हम केवल उसको अमल करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान होगा। सबसे पहली समस्या का समाधान यह है कि बामसेफ का सारे भारत में नेटवर्क है। जहाँ-जहाँ बामसेफ का नेटवर्क है, हमें वहाँ-वहाँ ट्रेड यूनियन को डेवलप करना है, तो जितने भी प्राईवेट सेक्टर के प्रतिस्थापित संस्थान हैं, वहाँ पर हम बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जिस किसी भी संस्थान में हमारे वर्कर लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम वहाँ भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से लिखित कम्पलेन्ट करना होगा। बामसेफ और बामसेफ के किसी भी ऑफसूट विंग के माध्यम से कम्पलेन्ट कर सकते हैं।

अभी बाल एवं किशोर श्रमिक प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम, १९८६ का २०१६ में संशोधन हुआ है। सभी संस्थान को अपने गेट के ऊपर सूचना प्रदर्शित करना है कि इस संस्थान में बाल एवं किशोर श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। जो भी संस्थान, बाल एवं किशोर श्रमिकों को नियोजित करेगा उसे २० हजार रूपये से ५० हजार रूपये तक का जुर्माना या ६ माह से २ साल तक का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

शेष पृष्ठ ८ पर...

प्रेषक,
"बहुजनों का बहुजन भारत"
(हिन्दी साप्ताहिक)
4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा,
करोलबाग नई दिल्ली–110005
दूरभाषः 011–64592625

प्रति,

TUESDAY/WEDNESDAY
RNI. No. DELHI N/2000/2450
POSTAL REGD. No. DL (C) -14/1129/2018 -20
LINCENSED TO POST WITHOUT PRE PAYMENT
REGD. No. U (C) - 258/2018-2020
POSTAGE AT SRT NAGAR, NEW DELHI

केन्द्रीय कार्यालय : 4765/46, रैगरपूरा, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 दूरभाष–011–64592625

मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए एक्ट और कानून की जानकारी देनी चाहिए-पी.एम.सोलंकी

ऐसी सूचना हर संस्थान के गेट पर प्रदर्शित करना है। मगर ऐसी सूचना किसी भी संस्थान के गेट पर प्रदर्शित नहीं है। अगर भारत मुक्ति मोर्चा केवल कम्पलेन्ट कर दे कि इस संस्थान के गेट पर ये सूचना प्रदर्शित नहीं है और यहाँ चाईल्ड लेबर काम कर रहे हैं तो उसकी जाँच होगी और अगर यह सूचना प्रदर्शित नहीं हुआ तो उसे जुर्माना और कारावास होगा। सभी खतरनाक उद्योगों में १४ साल तक के बाल श्रमिक प्रतिबंधित थे, मगर अब १८ साल तक के किशोर श्रमिक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर हमें उस खतरनाक उद्योग से बाल और किशोर को मुक्त करवाना है तो चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर '१०९८' पर कम्पलेन्ट करना होगा, तो आपका फोन मुम्बई में रिसिव किया जाएगा और मुम्बई से सीधा महिला और बाल विकास विभाग को फोन करेगा, तो महिला और बाल विकास विभाग पुलिस और कलेक्टर से सम्पर्क करके उस खतरनाक उद्योग में छापा डालेगा और बाल एवं किशोर श्रमिकों को मुक्त करायेगा। अगर उद्योग के अधिकारी कहते हैं कि वह किशोर १८ साल से ज्यादा उम्र है तो उसका उम्र प्रदर्शित करना होगा अन्यथा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हमें इस तरीके से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बाल एवं श्रमिक प्रतिबंध एवं नियमन १९८६ संशोधन अधिनियम के तहत कम्पलेन्ट करना होगा। इसे श्रमिकों के माध्यम से कम्पलेन्ट नहीं करना है।

भारत सरकार का मोटर यातायात कामगार अधिनियम १९६१ है। इसके तहत ड्राईवर लोगों को सर्दी में गरम वर्दी देना चाहिए और गर्मी में सुती वर्दी देना चाहिए। उनके काम के घंटे सप्ताह में निर्धारित हैं। अगर हम शिकायत कर दें कि उससे सप्ताह में निर्धारित घण्टा से ज्यादा काम लिया जाता है, तो इससे एक्सीडेन्ट की संभावना होती है तो उसकी जाँच होगी और ये सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ले सकते हैं। मैं ये समाधान आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जानकारी हो कि उसको कैसे ठीक करना है? तीसरा, कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट अर्थात संविदा श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत संविदा श्रमिकों के लिए तीन सुरक्षा कवच है। पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 'प्रिन्सीपल ईम्प्लाई' और 'कॉन्ट्रेक्ट लेबर' एक जैसा काम करते हैं, तो उनको एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिलता है और वेतन में अन्तर है, तो हम इसकी सूचना के अधिकार के तहत शिकायत कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लेबर कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं। इसकी जाँच होगी। अगर किसी को मलेरिया का मच्छर काटता है तो वह मरेगा नहीं, मगर उसको बुखार जरूर आयेगा। इसलिए तमाम कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह खबरदारी बामसेफ और अन्य ऑफसूट संगठनों को लेना चाहिए।

दूसरा, कॉंट्रेक्ट लेबर एक्ट के तहत स्थायी प्रवृत्ति का काम ठेके पर नहीं दिया जा सकता है। ये कॉंट्रेक्ट एक्ट में कंडिशन है। इसका मतलब है कि, जो परमानेंट नेचर का कार्य है, वो ठेके पर नहीं दिया जा सकता है। आज आप किसी भी संस्थान में जाओगे, तो उस संस्थान के गेट पर ठेके की सेक्योरिटी मिलेगी। अब सुरक्षा का काम सिजनल है या परमानेंट नेचर का काम है?

साफ-सफाई का काम सीजनल नहीं है कि तीन महीने काम होगा और नौ महीना काम नहीं होगा। साफ-सफाई और सुरक्षा का काम ठेके पर नहीं दिया जा सकता है और अगर ठेके पर देंगे तो कानून का उल्लंघन होगा। हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह स्थायी प्रकृति का काम है। मगर सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को लेबर लॉ की जानकारी नहीं है। इसलिए शिकायत नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसा है, वैसा ही चल रहा है। अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो सूचना के अधिकार के तहत और किसी व्यक्ति के माध्यम से हम उसकी शिकायत करके ठीक कर सकते हैं।

कॉंट्रेक्ट लेबर एक्ट में तीसरा मुद्दा है कि प्रमुख नियोजक के कर्मचारी से ज्यादा, ठेका के कर्मचारी नहीं होना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि प्रमुख नियोजक के सौ कर्मचारी हैं और कॉंट्रेक्ट लेबर के हजार कर्मचारी हैं तो ये कॉंट्रेक्ट लेबर लॉ का खुला उल्लंघन है। अगला है 'समान पारिश्रमिक अधिनियम।' किसी भी संस्थान में पुरूष और महिला श्रमिक हैं, तो समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। लिंग के आधार पर किसी कर्मचारी के भर्ती में भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इसको मुद्दा बनाकर हम समस्या का समाधान कर सकते हैं।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत उन्हें लाभांवित करवाने का है। एक नया 'बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन लेबर एक्ट' है। उसमें सामाजिक सुरक्षा निर्धारित की गई है। सारे भारत में खासकर उत्तराखण्ड और हरियाणा में 'बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट' प्रभावशाली है। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा के लिए श्रामिकों के पुत्री के लिए विवाह सहायता, स्कॉलरशिप, मृत्यु सहायता और चिकित्सा सहायता आदि देना है। अगर हम बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर असंगठित मजदूरों का पंजीयन करवाते हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लेते हैं तो उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और उनको आर्थिक सहायता मिलती है तो वे लोग हमसे जुड़ेंगे। इस तरह से हम श्रामिकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम डायरेक्ट फाईट करते हैं, हम डायरेक्ट फाईट के बजाय, हम इन्डायरेक्ट फाईट बामसेफ के ऑफसूट विंग के माध्यम से कंपलेन करके और अन्य दूसरे तरीके से इन मुद्दों को हल करते हैं तो यह ज्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है।

मजदूरों के समर्थन में 'ट्रेड यूनियन एक्ट-१९२६' है। 'ट्रेड यूनियन एक्ट-१९२६' के तहत मजदूरों को बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसलिए हमें अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और जिस दिन हमारी सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, तो दुश्मन हमारे सामने नतमस्तक होंगे।

"बहुजनों का बहुजन भारत" के इस अंक में प्रकाशित होनेवाले लेखकों के विचारों से संपादक सहमत है, ऐसा नहीं है।

बहुजनों का बहुजन भारत, हिन्दी साप्ताहिक मुद्रक, मालिक, प्रकाशित तथा संपादक-वामन चिंधूजी मेश्राम द्वारा वैदिक मुद्रणालय, 3957 गली अहीरान पहाड़ी धीरज, दिल्ली-10006 यहाँ मुद्रित कर म.नं० 4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-05 से प्रकाशित।